



ग्राम-डुमरी पो0-सरमाटांड थाना-जयनगर जिला-कोडरमा है। इस प्रकार दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। तथा एक ही अंचल में निवास करते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, जयनगर के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (i) (b) 2<sup>nd</sup> Provision के अन्तर्गत मौजा-ककरचोली खाता नं0-29 प्लॉट नं0-930 रकवा-19 डी0 श्रीमती उर्मिला देवी पति-छोटु रविदास ग्राम-डुमरी पो0-सरमाटांड थाना-जयनगर जिला-कोडरमा के नाम विक्री करने की अनुमती दी जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी,जयनगर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
कोडरमा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
कोडरमा।

✓

## आदेश

25.4.18

आवेदक श्री महादेव पासवान पिता-स्व0 लाटो पासवान एवं श्री रामदेव पासवान पिता-स्व0 जानकी पासवान ग्राम-ककरचोली थाना वो अंचल जयनगर जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम की धारा 46 (i) (b) के तहत मौजा-ककरचोली खाता नं0-29 प्लॉट नं0-930 रकवा-19डी0 भूमि आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण श्रीमती उर्मिला देवी पति-छोटु रविदास ग्राम-डुमरी थाना-जयनगर जिला-कोडरमा को विक्री करने की अनुमती का मांग किया है।

अंचल अधिकारी, जयनगर का पत्रांक-106 दिनांक-07.02.2018 के द्वारा विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय भूमि आवेदक के पिता एवं दादा लाटो के नाम से खतियान एवं पंजी II के पृष्ठ सं0-29/1 दर्ज है। विक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियानी रैयत भूमि है। मौजा-ककरचोली खाता नं0-29 इन्द्रदेव पिता-अंगद एक अंश, लाटो पिता-उतीम दो अंश, बहादुर पिता-भिखो एक अंश, बंशी पिता-सोमर दो अंश, बुधन पिता-जोजे एक अंश है। प्लॉट नं0-930 रकवा-19 डी0 लाटो के वंशज को प्राप्त हिस्सा शपथ पत्र सं0-II दिनांक-21.12.2017 के अनुसार 0.095 डी0 एवं अन्य के 0.095डी0 है। विक्रय भूमि विक्रेता के दखल और घरेलु बटवारा के अनुसार प्राप्त है। क्रेता और विक्रेता दोनो C.N.T Act के धारा 46 (i) (b) के अन्तर्गत है तथा एक ही थाना क्षेत्र जयनगर के अन्तर्गत है। विक्रेता को अनुमती के पश्चात् 3.03 एकड़ भूमि बचती है। विक्री की अनुमती मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आतें है। घरेलु बटवारा के पश्चात् आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। इन्होंने भूमि हस्तांतरण की अनुशंसा किये है।

क्रेता एवं विक्रेता दोनो ने अपने-अपने साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कागजात के अनुसार आवेदक (विक्रेता) महादेव पासवान पिता-स्व0 लाटो पासवान एवं रामदेव पासवान पिता-स्व0 जानकी पासवान का जाति प्रामाण पत्र संख्या क्रमशः JHCC/2017/824392 दिनांक-16.07.2017 एवं JHCC/2017/820530 दिनांक-16.07.2017 को अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के द्वारा निर्गत है के अनुसार आवेदक (विक्रेता) जाति के दुसाध है। एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या-JHRC/2017/880929 दिनांक-11.07.17 के अनुसार आवेदक महादेव पासवान पिता-लाटो पासवान ग्राम-ककरचोली पो0-जयनगर थाना-जयनगर जिला-कोडरमा है एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0-JHRC/2017/881181 दिनांक-11.07.2017 के अनुसार रामदेव पासवान पिता-जानकी पासवान ग्राम-ककरचोली पो0-जयनगर थाना-जयनगर जिला-कोडरमा है। क्रेता श्रीमती उर्मिला देवी पति-छोटु रविदास ग्राम-डुमरी के जाति प्रमाण पत्र सं0-JHCC/2017/367273 दिनांक-25.04.02017 जो अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के चमार है एवं अनंमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHRC/2017/372017 दिनांक-08.04.2017 के अनुसार क्रेता श्रीमती उर्मिला देवी पति-छोटु रविदास

पत्रांक-421 दिनांक-25.4.18 द्वारा

2018-1198

C.C. No  
116  
26.5.18